न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 02/ 2022
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2022/36

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

1. श्री पीथा पुत्र श्री लिम्बा जाति भील
2. श्री अन्तर पुत्र श्री हाला जाति भील
3. श्री ईश्वर पुत्र श्री हाला जाति भील
4. श्री दशरथ पुत्र श्री हाला जाति भील
5. श्रीमती कोदरी बेवा जावलिया जाति भील
6. श्री शम्भु पुत्र जावलिया जाति भील निवासियान् जुनापानी तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. मृतक श्री राजहिंग पुत्र श्री लिम्बा के विधिक वारिसान्
   1/1 श्री करमा पिता राजहिंग जाति भील निवासी जुनापानी तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा
   1/2 श्री भीमसिंग पुत्र श्री राजहिंग जाति भील निवासी जुनापानी तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा
2. मृतक श्री ताजहिंग पुत्र श्री लिम्बा के विधिक वारिसान्
   2/1 श्री दोलु पुत्र श्री ताजहिंग जाति भील निवासी जुनापानी तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा
   2/2 श्री रामु पुत्र ताजहिंग जाति भील निवासी जुनापानी तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा
   2/3 श्रीमती हकरी बेवा श्री ताजहिंग जाति भील निवासी जुनापानी तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा
3. मृतक श्री गलिया पुत्र श्री लिम्बा के विधिक वारिसान्
   3/1 श्री माला पुत्र श्री गलीया जाति भील निवासी निवासी जुनापानी तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा
   3/2 श्री जहतेंग पुत्र श्री गलीया जाति भील निवासी निवासी जुनापानी तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा
   3/3 श्री राणु पुत्र श्री गलीया जाति भील निवासी निवासी जुनापानी तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा
4. मृतक श्री हवजी पुत्र श्री लिम्बा के विधिक वारिसान्
   4/1 श्री प्रभु पुत्र श्री हवजी जाति भील निवासी निवासी जुनापानी तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा
   4/2 श्री जीवला पुत्र श्री हवजी जाति भील निवासी निवासी जुनापानी तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा
5. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा

उपस्थित

श्री जयेन्द्र पुरोहित, अधिवक्ता

श्री रवि पुरी अधिवक्ता
श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांक :– 13–12–2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:31:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्र[...] ग्राम जुनापानी पटवार हल्का पाटन तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा [...] 176, 212, 229/203, 27,

Scanned with Oken Scanner

47, 48, 50, 54 कुल खसरा 10 कुल रकबा 4.6822 है. पूर्व में श्री पिथा, हाला पुत्र लिम्बा के नाम दर्ज रेकार्ड थी। उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में श्री राजहिंग, श्री ताजहिंग, श्री गलिया, श्री हवजी द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय कुशलगढ में श्री पिथा एवं श्री हाला के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया था। उपखण्ड न्यायालय कुशलगढ द्वारा प्रकरण सं. 38/93 में अपीलान्ट्स के विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई कर दिनांक 30.11.1994 को प्रारंभिक डिक्री पारित की गई तथा दिनांक 10.12.1997 को अन्तिम डिक्री पारित कर दी गई, जिसके आधार पर तहसीलदार कुशलगढ द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/ 2020/ 7 दिनांक 06.01.2020 को पारित कर नामान्तरकरण संख्या 178 दिनांक 27.07.2020 स्वीकृत किया। जिससे असन्तुष्ट, अप्रसन्न, व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेण्ट्स को समन जारी किये गए।

रेसपोडेंट सं.1/1 से 4/2 की ओर से दिनांक 19–07–2022 को इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़, जिला बांसवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 38/93 में निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.12.1997 पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ की अंतिम डिक्री दिनांक 10.12.1997 के विरूद्ध कोई अपील संस्थित नहीं की है तथा अंतिम डिक्री 10.12.1997 वर्तमान में भी प्रभावी है। प्रश्नगत आदेश व नामान्तरकरण सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर पारित किये गये है। यदि अपीलार्थी के पक्ष में किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश अथवा निर्णय पारित किया गया है तो अपीलार्थी द्वारा अनिश्चित काल तक उस आदेश अथवा निर्णय की पालना क्यों नहीं की गयी, उसका युक्तियुक्त कारण अपीलार्थी द्वारा उल्लेखित नहीं किया गया है। जिस कारण प्रश्नगत आदेश व नामान्तरकरण विधि सम्मत है।

रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से दिनांक 19.07.2022 को जबाव प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि उपखण्ड न्यायालय कुशलगढ द्वारा दिनांक 10.12.1997 को जारी अन्तिम डिक्री की अनुपालना में दिनांक 06.01.2020 को आदेश जारी कर नामान्तरकरण संख्या 178 दिनांक 27.072020 खोला गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:54 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 15–11–2022 को उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

Scanned with Oken Scanner

अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के सन्दर्भ में कथन किया कि अपीलांट्स के द्वारा वादग्रस्त भूमि में रबी की फसल प्राप्त करने के पश्चात् खेत की सफाई करवा रहे थे तभी माह मई 2022 को रेस्पोडेंट्स मौके पर आकर अपीलांट्स के साथ विवाद करने लगे। जिस पर अपीलांट्स ने पटवारी से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेंट्स के नाम नामान्तरकरण दर्ज हुआ है। जिस पर उक्त नामान्तरकरण की नकल दिनांक 07.05.2022 को प्राप्त होने पर अवैध इन्द्राज की जानकारी हुई। जिसके पश्चात् यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में देरी का कारण वास्तविक सद्भावना पूर्ण व न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा जानबुझकर विलम्ब नही किया गया है। यदि देरी कण्डोन नही की तो अपीलांट उचित न्याय से वंचित रह जायेगा।

रेस्पोडेंट सं. 1/1 से 4/2 के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के सन्दर्भ में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत नही की है और देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत कारण पर्याप्त नही है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि देरी को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थी को प्रतिदिन के विलम्ब को स्पष्ट करना आवश्यक है। अपीलार्थी लगातार वर्ष 1993 से प्रत्यर्थी से मुकदमेबाजी में है। ऐसे में अपीलार्थी को राजस्व अभिलेखो की जानकारी नही होना विश्वास योग्य नही है। अपीलार्थी द्वारा माह मई 2022 में प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 द्वारा मौके पर विवाद करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा परिवाद किसी पुलिस अधिकारी अथवा राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत नही किया है। इस कारण अपील म्याद बाहर होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट की ओर से अधिवक्ता ने अपील पर बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्टस के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 64 के खेत सर्वे नम्बर 103 रकबा 0.3723 है., सर्वे नंबर 132 रकबा 0.5018 है सर्वे नंबर 196 रकबा 0.3237 है, सर्वे नम्बर 212 रकबा 0.2266 है, सर्वे नम्बर 229/203 रकबा 0.4411 है, सर्वे नंबर 27 रकबा 0.9389 है, सर्वे नंबर 47 रकबा 0.9389 है, सर्वे नंबर 48 रकबा 0.2104 है, सर्वे नंबर 50 रकबा 0.0243 है, सर्वे नंबर 54 रकबा 0.7042 है कुल खेत 10 कुल रकबा 4.6822 है वाके ग्राम निवासी जुनापानी पटवार मण्डल पाटन तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाडा में स्थित है। जिस पर पू[illegible] श्री लिम्बा एवं अपीलान्ट्स संख्या 2 से 6 के पूर्वज श्री हाला पिता [illegible] वर्तमान में अपीलान्ट्स संयुक्त रूप से काबिज होकर का[illegible] भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट्स श्री राजहिंग,

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

श्री ताजहिंग, श्री गलिया एवं श्री हवजी के द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी न्यायालय कुशलगढ़ में अपीलान्ट श्री पिथा एवं श्री हाला के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया था। जिसमें अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई कर दिनांक 30.11.1994 को प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी। जिसका प्रकरण संख्या 38/93 है जिसमें अपीलान्ट्स संख्या 1 एवं अपीलान्ट्स संख्या 2 से 6 के पूर्वज श्री हाला पुत्र श्री लिम्बा के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी के तहत् उपरोक्त प्रारम्भिक डिक्री निरस्त कर द्विपक्षीय सुनवाई करने हेतु प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ में प्रस्तुत किया था। जो उक्त प्रार्थनापत्र खारिज होकर जिसकी अपील श्रीमान् न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अधिकारी बांसवाडा में प्रस्तुत की। जहां उक्त अपील निरस्त हुई तथा अपीलान्ट्स के द्वारा अपील प्रकरण संख्या 67/96 में पारित आदेश दिनांक 30.04.1998 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रिवीजन प्रस्तुत की गई जिसका प्रकरण संख्या निगरानी/टी.ए./3178/1998/बांसवाडा है। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा अपीलान्ट्स की निगरानी स्वीकार कर दिनांक 30.09.2010 को निर्णय पारित एकपक्षीय डिक्री को निरस्त किया गया एवं उक्त प्रकरण विचारण न्यायालय में तनकीयात कायम कर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। उपरोक्त आदेश के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व मण्डल से मूल पत्रावली प्रतिप्रेषित नहीं हुई और न ही प्रकरण में किसी प्रकार की कोई सुनवाई हुई। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.12.1997 को अन्तिम डिक्री परित कर दी थी। जिसके आधार पर श्रीमान् तहसीलदार कुशलगढ़ के द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/2020/7 दिनांक 06.01.2020 को पारित कर नामान्तरकरण संख्या 178 दिनांक 27.07.2020 अपीलान्ट्स की जानकारी के बिना एकपक्षीय कार्यवाही कर रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 से 4 के हक में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिए। जबकि श्रीमान् तहसीलदार साहब एवं रेस्पोंडेन्ट्स को इस बात का ज्ञान है कि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी न्यायालय कुशलगढ़ के द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत हुई थी और उक्त प्रारम्भिक डिक्री निरस्त हुई है। जिसके पश्चात् अन्तिम डिक्री को कोई अस्तित्व नहीं रहता है। परन्तु उक्त अन्तिम डिक्री के आधार पर श्रीमान् तहसीलदार कुशलगढ़ के द्वारा उपरोक्त आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। तहसीलदार कुशलगढ़ के द्वारा उकत आदेश पारित करने के पूर्व श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी न्यायालय प्रेषित ... के प्रकरण संख्या 38/93 के संबंध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

किसी प्रकार की कोई जांच या पत्रावली का अवलोकन नहीं किया है और एक निष्प्रभावी अन्तिम डिक्री के आधार पर करीब 23 वर्ष के पश्चात् दिनांक 06.01.2020 को जो आदेश पारित किया है वह विधित: पोषणीय नहीं है। राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2010 के पश्चात् श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी न्यायालय कुशलगढ़ में प्रकरण संख्या 38/93 में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा पत्रावाली के संबंध में अपीलान्ट्स के द्वारा कई बार न्यायालय में जाकर जानकारी चाही लेकिन उक्त प्रकरण के संबंध में पत्रावली की कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई और उसी का फायदा उठाकर रेस्पोडेंट्स के द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 178 निष्प्रभावी अन्तिम डिक्री के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाया है। श्रीमान् से निवेदन है कि अप्रार्थीगण अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार कर श्रीमान् तहसीलदार कुशलगढ़ के द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/2020/7 दिनांक 06.01.2020 एवं नामान्तरकरण संख्या 178 दिनांक 27.07.2020 निरस्त करना फरमावें।

रेस्पोडेंट सं. 1/1 से 4/2 के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत आदेश व नामान्तरकरण समस्त आवश्यक विधिसम्मत कार्यवाही के उपरान्त परित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ जिला बॉसवाडा द्वारा प्रकरण सं. 38/93 में निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.12.1997 पारित किया है जो वर्तमान में भी प्रभावी है। अन्तिम डिक्री के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील संस्थीत नही की गई है। प्रश्नगत आदेश व नामान्तरकरण सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर पारित किये गये है। यदि अपीलार्थी के पक्ष में यदि कोई निर्णय पारित किया गया है तो अपीलार्थी द्वारा अनिश्चित काल तक उस आदेश अथवा निर्णय की पालना क्यों नही की गई, उसका यक्तियुक्त कारण अपीलार्थी द्वारा उल्लेखित नही किया गया है।

रेस्पोडेंट सं. 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड न्यायालय कुशलगढ द्वारा दिनांक 10.12.1997 को जारी अंन्तिम डिक्री की अनुपालना में दिनांक 06.01.2020 को आदेश जारी कर नामान्तरकरण संख्या 178 दिनांक 27.072020 खोला गया है।

हमने दोनो पक्षो की वहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत अभिलेख का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी न्यायालय कुशलगढ में अपीलान्ट श्री पिथा एवं श्री हाला के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया था। जिसका प्रकरण संख्या 38/93 दर्ज किया गया [illegible] एक पक्षीय कार्यवाही कर दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

30.11.1994 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई उक्त एक पक्षीय कार्यवाही को द्वि–पक्षीय कार्यवाही करने के लिये पुनः सुनवाई करने हेतु अपीलान्ट्स संख्या 1 एवं अपीलान्ट्स संख्या 2 से 6 के पूर्वज श्री हाला पुत्र श्री लिम्बा के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी के तहत् सुनवाई करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ में प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया। जिसकी अपील अपीलांट की ओर से माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अधिकारी बांसवाडा में प्रस्तुत की जिसका प्रकरण सं. 67/96 दर्ज किया गया। दौराने विचारण उक्त अपील, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 38/93 में दिनांक 10.12.1997 को अन्तिम डिक्री पारित की गई तथा अन्तिम डिक्री की पालना करने हेतु तहसीलदार कुशलगढ को तहरीर जारी की गई एवं प्रकरण का पूर्ण निस्तारण किया गया। इस कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी को प्रस्तुत अपील का कोई मकसद शेष नही रह जाता है। फिर भी राजस्व अपील अधिकारी बॉसवाडा द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील खारीज की गई जिसके विरुद्ध अपीलांट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रिवीजन प्रस्तुत की गई तथा अपीलांट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 38/93 निर्णय दिनांक 30.11.1994 व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.12.1997 के विरुद्ध कोई अपील या कार्यवाही नही की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रिवीजन दिनांक 30.09.2010 को स्वीकार की गई तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री को निरस्त किया गया तथा प्रकरण में तनकीयात कायम कर दोनो पक्षो की साक्ष्य लेकर प्रकरण निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया। लेकिन इस आदेश/निर्णय से पूर्व ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री पारित कर दी गई है तथा उसके विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नही की गई और उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ के निर्णय व अन्तिम डिक्री की पालना में तहसीलदार कुशलगढ के द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/ 2020/ 7 दिनांक 06.10.2020 से नामान्तरकरण सं. 178 दिनांक 27.07.2020 निर्णित किया गया है। वर्तमान में अधिनस्थ न्यायालय कुशलगढ का प्रकरण सं. 38/93 में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.12.1997 प्रभावशील है तथा उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध कोई अपील विचाराधीन नही है न ही संस्थीत है। अपीलांट्स की ओर से नामान्तरकरण सं. 178 दिनांक 27.07.2020 को निरस्त करने हेतु अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है, यह प्रतित होता है कि अपीलांट्स को

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

निर्णय दिनांक 10.12.1997 की भलीभांति जानकारी थी लेकिन अपीलांट्स की ओर से उक्त निर्णय दिनांक 10.12.1997 को चुनौति नही दी गई और बाद में उक्त निर्णय की पालना हो जाने के बाद अपील पेश की गई है।

इस अपील के साथ अपीलांट्स की ओर से म्याद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलांट्स को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होते ही अपील पेश की है लेकिन अपीलांट्स की ओर से इस सम्बन्ध में कोई ठोस व युक्ति युक्त कारण नही दर्शाये है। अतः धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अतः अपील अपीलांट्स निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.12.1997 अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ के विरुद्ध नही होकर उक्त निर्णय वाद की पालना में तहसीलदार कुशलगढ द्वारा खोला गया नामान्तरकरण सं. 178 दिनांक 27.07.2020 को निरस्त करने हेतु पेश किया है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ के निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.12.1997 की पालना में तहसीलदार कुशलगढ द्वारा नामान्तरकरण सं. 178 दिनांक 27.07.2020 खोला गया है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ के प्रकरण सं. 38/93 वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय/ आदेश दिनांक 30.11.1994 के सन्दर्भ में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर प्रकरण सं. निगरानी/ टी.ए/ 3178/ 1998/ बॉसवाडा में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2010 की अवमा[illegible] में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु अपीलांट स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 13–12–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
बांसवाड़ा
13/12/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner